CHETANA
International Journal of Education
(CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

शोध-पत्र

Received 08.01.2023 Reviewed 14.02.2023 Accepted 27.02.2023

राजस्थान के राजे.रजवाड़े एवं एकीकरण में भूमिका

*डॉ सुमन कुमार शर्मा
**आस्था यादव

मुख्य शब्द – *राजपूताना, देशी रियासत, रजवाडा आदि.*

सार

राजस्थान से हमारा आशय भूतपूर्व देशी रियासतों के विलय के फलस्वरूप गठित भारतीय गणतन्त्र के उस राज्य या प्रदेश से है, जो संप्रति इस नाम से अभिहित किया जाता है तथा जो स्वतन्त्रता पूर्व जार्ज टॉमस द्वारा प्रयुक्त 'राजपूताना' नाम से जाना जाता था। इन 45 देशी रियासतों या रजवाड़ों का सामूहिक रूप से बोध कराने के लिये ''राजस्थान'' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। फलतः सन 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब राजपूताना की देशी रियासतों के विलय के फलस्वरूप इस प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो इस राज्य का कर्नल टॉड द्वारा प्रयुक्त ''राजस्थान'' नाम ही स्वीकार किया गया।

प्रस्तावना

जहाँ तक एकीकरण का प्रश्न है तो देश की स्वतन्त्रता के समय भारत में 56246 छोटी-बड़ी देशी रियासतें थी। जिन्हे येन-केन प्रकरेण ब्रिटिश भारत के साथ-मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया गया। राजस्थान में इस समय 19 रियासतें, 3 ठिकानें तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश था। इन सभी रियासतों को विभिन्न चरणों में एकत्रित करते हुये 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने उद्घाटन किया, राजस्थान को भारतीय संघ के एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार सदियों से बिखरी हुई इन छोटी-बड़ी रियासतों को एकीकरण के माध्यम से एक भौगोलिक व राजनीतिक पहचान मिली। प्रदेश या राज्य के अर्थ में 'राजस्थान' शब्द का प्रयोग कर्नल टॉड के द्वारा ही किया गया था तथापि एक भिन्न अर्थ में राजस्थान शब्द का प्रयोग हमें कर्नल टॉड से भी पहले मिलता है। वस्तुतः मध्ययुगीन राजस्थानी साहित्य एवं ऐतिहासिक ग्रन्थों में 'राजस्थान' सहित इसके अपभ्रंश रूपों 'राजसथान,' 'राजथान,'

राजस्थाण' आदि का जगह-जगह प्रयोग हुआ है, जो किसी राज्य या प्रदेश विशेष का वाचक न होकर राजधानी के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। परन्तु 'राजपूताने' के भूतपूर्व राजवाड़ों के लिये सामूहिक रूप से बोधक एक भौगोलिक क्षेत्र या पृथक राजनैतिक इकाई के रूप में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने ही किया जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पुनर्गठित राज्य के लिए स्वीकार कर लिया गया। हमने इस े यहा ं इसी अर्थ में ग्रहण किया है।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य (डामिनियमद्) में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वंय को स्थापित कर सकती हैं। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48 प्रतिशत भारतीय क्षेत्र एवं 28 प्रतिशत जनसंख्या की कवर करती थीं। ये रियासते वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थेंए लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतरू अधीनस्थ थीं। ये रियासतेए राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने मेंए ब्रिटिश सरकार के लिये एक सहायक के रूप में थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ;भारत के पहले उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुएए पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया।

उन्होंने जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था इसकी अवधारणा को भी पुनर्स्थापित किया। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय कियाए तो कुछ ने स्वतंत्र रहने काए वहीं कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थीं।

राजस्थान का एकीकरण उस वृहत् प्रक्रिया का अंग था जो कैबिनेट मिशन की भारत स्वतंत्रता की योजना के अंतर्गत था। कैबिनेट मिषन के द्वारा भारत स्वतंत्रता की जो योजना तैयार की गई थी। उसके अनुसार भारत एक संघ राज्य होगा जिसमें ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। यह संघ एक सषक्त संघ न होकर ढ़ीला ढ़ाला संघ था, जिसे केवल प्रतिरक्षा, संचार तथा वैदेषिक मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया था। शेष सभी विषयों पर राज्यों का नियंत्रण था, जो भारतीय संघ के अषक्त व राज्यों की अधिक सषक्ता के पक्षधर थे।

देषी रियासतों की स्थिति बहुत विकट थी, यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के प्रभाव में ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषणा की गयी कि छोटी-छोटी रियासतें आपस में मिलकर बड़ी इकाईयों का गठन करें। साथ कैबिनेट मिषन में यह बात भी प्रावधान था कि भारत स्वतंत्रता के साथ ही ब्रिटिष सर्वोच्च सत्ता का अंत हो जाएगा तथा जिन संधियों के

माध्यम से जो नियंत्रण ब्रिटिश ताज का इन रियासतों पर है, वह भी समाप्त हो जाएगा, यह प्रावधान भारत की भावी एकता तथा अखण्डता के लिए घातक हो सकता था।

राजस्थान में उस समय 19 देशी रियासते व तीन ठिकाने थे, जहाँ एक ओर भारत सरकार का देशी रियासत मंत्रालय इन रियासतों के भारत में एकीकरण हेतु वृहत् योजना बना रहा था, वहीं जमीनी स्तर पर आम जनता व अखिल भारतीय देषी राज्य लोक परिषद् तथा प्रजा मंडल आंदोलन भी एकीकरण की पृष्ठभूमि तय रह रहा था। 6 से 8 अगस्त, 1945 को भारतीय देषी राज्य प्रजा परिषद की स्थायी समिति की श्रीनगर में बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उन सभी छोटी रियासतों को जिनकी जनसंख्या 20 लाख तथा आय 50 लाख से कम है, उन्हें या तो प्रांतों में मिल जाना चाहिए। अथवा आपस में मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण कर लेना चाहिए ताकि वे भारतीय संघ में एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सके।

भारत आगमन के उपरांत यहाँ फैली भीषण साम्प्रदायिक हिंसा तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच फैले भारी मतभेद के चलते वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे की इस समस्या का समाधान भारत विभाजन के रूप में ही हो सकता है।

मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को की गयी प्रत्यक्ष कार्यवाही ने समस्त उपमहाद्वीप को साम्प्रदायिक संघर्ष की चपेट में ले लिया था इन बदली परिस्थितियों ब्रिटिष सरकार के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की तिथि जून 1948 की अपनी पूर्व योजना से हटाकर अगस्त 1947 कर दी तथा भारत में सत्ता हस्तांतरण के जटिल मुद्दे को सुलझाने के लिए लार्ड माउटबैंटन को पूर्ण शक्ति व प्राधिकार के साथ भारत को प्रस्थान किया।

वही भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा की गयी कि स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख जनसंख्या वाली रियासत अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होगी। यह मापदण्ड राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासत पर ही लागू होता था। भारत सरकार की यह मंषा थी कि राजस्थान की कुछ छोटी रियासतों को मध्यप्रदेष और कुछ को अजमेर-मेरवाड़ा में मिला दिया जाए। परन्तु राजस्थान के सभी प्रजामण्डल नेता व देषी राज्य लोक परिषद राजस्थान की सभी रियासतों को एक साथ संगठित करने की पक्षधर थी।

इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में वृहत् राजस्थान के निर्माण की मांग को बलवती ढंग से उठाया गया। पंडित नेहरू के नेतृत्व में जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके द्वारा देषी रियासतों का विलीनीकरण सकुषलता के साथ भारत के साथ हो जाए, इसके लिए देषी रियासतों के मामलों के गहरे जानकार व यथार्थवादी नेता सरदार पटेल के नेतृत्व में 25 जून 1949 को रियासती विभाग के गठन का निर्णय लिया क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान इन रियासतों को विभिन्न प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न कर रहा था, तो दूसरी ओर

मौजूद ब्रिटिष मषीनरी का रवैया भी नकारात्मक था, साथ ही अनेक देशी रियासतें भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण की पृष्ठभूमि विभिन्न व्यवधानों के बावजूद निर्मित होने लगी थी।

सरदार पटेल ने देशी रियासतों को विष्वास में लेते हुए यह घोषणा की, सार्वजनिक हित के मात्र तीन विषय - यथा संचार, वैदेशिक मामले तथा रक्षा भारतीय संघ को सौंपकर देषी रियासतों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में यह दृढ़ संकल्प भी दुहराया कि कोई नरेश यह विचार रखता है कि ब्रिटिष शासन की समाप्ति के उपरांत वह अपनी रियासत का सम्प्रभु अस्तित्व कायम रख सकेगा। तो यह उसकी भूल होगी। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस विभाग का केन्द्रीय दायित्व यह था कि वे देषी रियासतों को अपने विष्वास में ले तथा उन्हें इस बात का भरोसा दिलाए कि स्वतंत्र भारत में उनके सम्मान तथा विषेषाधिकारों की पूर्ण रक्षा की जाएगी। यह महती कार्य 15 अगस्त 1947 से पहले जिस ढंग से पूर्ण किया गया। वह वास्तव सरदार पटेल तथा उनके सचिव वी.पी. मेनन की सूझ.बूझ का परिणाम था, जिसके बिना अखण्ड भारत वर्ष का निर्माण असंभव था।

राजस्थान का एकीकरण मुख्यतः पाँच चरणों में सम्पन्न हुआ। इस एकीकरण की प्रक्रिया में 1930 के दशक से राजस्थान के विभिन्न भागों में पनप रहे प्रजामण्डल आंदोलनों की भूमिका बेहद प्रभावी व दबावकारी थी, वही तात्कालिक समय में साम्प्रदायिक दंगो ने इस एकीकरण की प्रक्रिया को ओर तीव्रता प्रदान की।

मत्स्य संघ का निर्माण

रियासती विभ्ज्ञाग का यह दृष्टिकोण था कि भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से धौलपुर, करौली, भरतपुर तथा अलवर एक दूसरे से जुड़े हैं, अतः इनके एक संघ का निर्माण कर दिया जाए इस विचार को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु 27 फरवरी 1948 को इन चारों राज्यों के शासकों दिल्ली आमंत्रित कर संघ निर्माण का प्रस्ताव रखा गया जिसे इन शासकों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख बनाया गया क्योंकि अलवर तथा भरतपुर के शासकों के खिलाफ साम्प्रदायिक दंगों में भूमिका के कारण जाँच चल रही थी। इन देशी रियासतों के प्रजामण्डल नेताओं में से लोकप्रिय मंत्रीमण्डल का निर्माण किया गया। जिसमें अलवर के शोभाराम (अलवर) गोपीलाल यादव (भरतपुर) चिंरजीलाल शर्मा (धौलपुर) थे। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया, इसकी राजधानी अलवर थी। इसकी वार्षिक आय 2 करोड़ रु. तथा मत्स्य संघ की जनसंख्या 18 लाख थी।

संयुक्त राजस्थान के अन्तर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक तथा लावा कुशलगढ़ को रखने का प्रस्ताव किया गया। इसमें कोटा को राजधानी बनाया गया, तथा राजप्रमुख कोटा नरेश को बनाना तय किया गया। 25 मार्च 1948 को वी.एन.गाडगिल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया जबकि गोकुललाल असावा इसके मुख्यमंत्री बनाए गए।

मेवाड़ रियासत के द्वारा भी इस संघ में शामिल होने की मंशा प्रकट की गयी क्यांेकि भौगोलिक दृष्टि से वह इस संघ से घिरा हुआ था, परन्तु इस हेतु महाराणा के द्वारा तीन मांगे प्रस्तुत की गई प्रथम उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। द्वितीय 20 लाख रु. वार्षिक निजी खर्च राशि (प्रिविपर्स) हेतु तथा महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राजप्रमुख बनाया जाए, भारत सरकार के द्वारा इन सभी मांगों को मान लिया गया।

उदयपुर रियासत के विलय ने राजस्थान की अन्य बड़ी रियासतों के विलय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस संघ का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रेल 1948 ई. को किया गया। माणिक्यलाल वर्मा इसके मुख्यमंत्री बनाए गये।

अब राजस्थान की चार मुख्य रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलीनीकरण शेष था, वी.पी मेनन के द्वारा इन राज्यों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया तथा 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा इन रियासतों को संयुक्त राजस्थान में विलय करते हुए राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी जयपुर तथा प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने।

मत्स्य संघ जिसका निर्माण 18 मार्च 1948 को किया गया था, वह संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर सका। अतः 10 मई 1949 को इसके चारों सह शासकों के द्वारा राजस्थान संघ में विलय के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिए तथा शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया।

अभी सिरोही का प्रश्न बना हुआ था, सरदार पटेल तथा गुजरात के नेता सिरोही को माउण्ट आबू के कारण बंबई प्रांत में मिलाने के पक्षधर थे लेकिन मांउण्ट आबू को छोड़कर सिरोही को जनवरी 1950 में राजस्थान में शामिल कर दिया जाए।

1953 में फजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जिसकी अनंुशंसा पर 1956 में आबूरोड़ तथा देलवाड़ा तहसील, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा राजस्थान में शामिल किया गया जबकि सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इस प्रकार 1956 में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में सामने आया।

इनमे जोधपुर रियासत प्रमुख रियासत थीण् एक राजपूत रियासत जहाँ का राजा हिंदू था और अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था। युवा एवं अनुभवहीन राजा धनवंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाज़ी कर सकता है। जिन्ना ने महाराज को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिये एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया था। इन्होंने सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिये कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुँच का प्रस्ताव भी रखा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ए पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावों का आश्वासन दिया। पटेल ने आश्वस्त किया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी। जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगाए साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 11 अगस्तए 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कियेए इस प्रकार जोधपुर रियासत का भारतीय अधिराज्य में एकीकरण हो गया।

Corresponding Author
*** Dr Suman Kumar Sharma,** *Associate Professsor*
Department of Political Science
Govt. Girls College, Chomu, Rajasthan
****Aastha yadav**, *Research scholar*
IIS UNIVERSITY JAIPUR
Email-yadavsubh67@gmail.com, Mobile-9414336836